राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/01/2024 को संपन्न 508वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 507वीं बैठक दिनांक 10/01/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर – श्री जितेन्द्र व्यास), ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2740)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 451124/ 2023, दिनांक 02/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 203/1 तथा प्लाट नं. A1 एवं A2, ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, कुल क्षेत्रफल–1.9697 हेक्टेयर में प्रस्तावित Aluminium Hydrate of capacity 19,900 TPA

alongwith Steam generated Boiler of capacity 10 TPH हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 21 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र व्यास, डायरेक्टर एवं श्री बी. सेनापति, सी.ई.ओ. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–हरिनछपरा 1.4 कि.मी. एवं शासकीय अस्पताल कवर्धा 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन दुर्ग 96.2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 111 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर है। बीजानर नाला 100 मीटर एवं सकरी नदी 2.4 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

   - भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य 9.1 कि.मी., छपरी संरक्षित वन 5.8 कि.मी. एवं बोरला संरक्षित वन 8.2 कि.मी. की दूरी पर है।

   समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत हरिनछपरा का दिनांक 02/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, डॉयरेक्टर– श्री दिनेश कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री पी. ओम प्रकाश के तरफ से आ.मु. श्री संजय कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफल 0.37175 हेक्टेयर भूमि को सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दिनांक 31/08/2023 के माध्यम से लीज पर जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 99 वर्ष तक है।

4. मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (In SQM)	Area (%)
1.	Alumina Main Plant	0.734	37.26

2.	Utilities and Infrastructures	0.005	0.25
3.	Raw Material Storage	0.052	2.64
4.	Steam Plant/Boiler	0.063	3.197
5.	Boiler Fuel Storage	0.063	3.197
6.	Brick Plant	0.010	0.51
7.	Internal Road and Drains	0.123	6.24
8.	Truck Parking	0.2543	12.89
9.	Green Belt	0.651	33.04
10.	Admin Building	0.010	0.51
11.	Store	0.005	0.25
Total		**1.9697**	**100**

7. रॉ–मटेरियल –

Raw Material for Aluminium Hydrate

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transportation
1.	Bauxite (Dry)	41,000	Own Mine	By road
2.	Soda Loss (as NaOH)	1,500	From Traders	By road
3.	Lime	900	From Katni/Bilaspur	By road
4.	Filter Cloth	5	From Traders	By road
5.	Synthetic Flocculants	17.91	From Traders	By road
6.	Rice Husk and Coal	14,000	Husk from Local supplier and coal from oper market	By road

Material Balance for Aluminium Hydrate

S.No.	Input		Output	
	Material	Quantity (TPA)	Material	Quantity (TPA)
1.	Bauxite	41,000	Alumina Hydrate	19,900
2.	Caustic Soda	1,500	Bauxite Residue	22,000
3.	Lime	900	Lime Grit	12,000
4.			Reaction Loss/LOI	1,488
	Total	**43,400**		**43,400**

Material Balance for Boiler

S.No.	Input		Output	
	Material	Quantity (TPA)	Material	Quantity (TPA)
1.	Rice Husk and Coal	14,000	Steam	10 TPH
2.			Ash	3,500
3.			Reaction Loss	10,500
	Total	**14,000**		**14,000**

8. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S.No.	Description	Details
1.	Aluminium Hydrate	19,900 TPA
2.	Steam Generated Boiler	10 TPH

9. प्रस्तावित एल्युमिनियम हाईड्रेड के उत्पादन हेतु बॉक्साईट क्रशिंग एवं ग्राईडिंग इकाई, प्री–डिसीलिकेशन, डाईल्युशन एवं डाईजेशन, बॉक्साईट रेसिडिव्यू वाशिंग, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन, हीट एक्सचेन्जर, प्रेसिपिटेशन, प्रोडक्ट एण्ड सीड क्लॉसिफिकेशन, मल्टी–ईफैक्ट ईवेपोरेटर, फिल्ट्रेशन एवं वाशिंग इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –

Source	Control Equipment	Maximum Particulate Emission at the Outlet
Boiler	Electrostatics Precipitators (ESP)(high performance rigid electrodes with transformer) with stack height of 30 meter	PM<250 mg/Nm^3
Bauxite Crushing Unit and Alumina Handling Unit	Bag Filter, Covered Conveyor belts and transfer points	PM<30 mg/Nm^3
Grinding Unit	Bag Filter	PM<30 mg/Nm^3
Dryers	Bag Filter	PM<30 mg/Nm^3
Dust from conveyors and material transfer points	Hoods and enclosures	PM<30 mg/Nm^3
For fugitive emission control :- • Provisions of wind barriers (tall barricades/3 meter tall boundary wall and 3 meter nylon screen around it.) • Provisions of enclosure, fogging system, water sprinkling arrangements. • Water sprinkling arrangements in truck parking areas.		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बॉयलर की चिमनी में कन्टिन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि बॉयलर से पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Waste	Quantity	Management
Bauxite Residue Waste	22,000 TPA	Solid Bauxite Residue cake will be produced using filter press [77-80% solid]. This wastage shall be sold to cement, brick and tiles making industries.
Ash from Boiler	3,500 TPA	Sold to industries like cement, brick making and for land reclamation, bund construction or road sub-base

		construction. Filling of abandoned coal mines, as per NGT order.
Lime grit from Lime slacker unit [Undissolved part of lime]	12 TPA	The wastes will be mixed with fly ash and 100% used in brick, tiles and block making etc.
Used Oil, Grease and Lubricants	1 kl/year	Collection in barrels, stored onsite at designated place and sold to recyclers authorized by the SPCB/CPCB.
Used oil / grease contaminated filter cloth and other fibre materials	5 TPA	Stored onsite at a designated place and disposed through common HWTSDF.
Municipal Solid Waste	0.5 TPA	Organic waste composter will be installed at site. Non-biodegradable, non-recyclable solid wastes would be disposed through authorized vendor.
Sludge from Neutralization pit	5 TPA	Stored in leak-proof facility within the premises at a designated place and disposed through common HWTSDF

12. **फ्यूल संबंधी विवरण –**

S.No.	Particulars	Fuel	Fuel Consump-tion (TPA)	Mode of Transportation	Distance from Site
1.	Fuel in Boiler	Rice Husk & coal	14,000	Truck	Within 100 km
2.	DG set 1 X 500 KVA	HSD	85.6 Ltr/Hr	By Tankers	Within 100 km

13. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 616.2 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होगी, जिसमें से औद्योगिक उपयोग हेतु 601.2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन उपयोग किया जाएगा।

Water In	(KLPD)	Water Out	(KLPD)
Steam	240	Water with Mud	25.42
Bauxite	6.5	Water with Hydrate	3
Caustic	4.9	Cond. to Boiler	93.6
Seal Water	72	Misc. Water	10
Wash Water	120	From Evoparation	360
With Lime	37.8	Boiler Blow down	12
Flocculant	36	Cooling Tower to Atm.	48
PAN Filter Condensate	36	Sub-Total	501.02
Cooling Water Makeup	48	Septic Tank Soak Pit	7
Drinking Water	10		
Plantation and Dust Suppression	5		
Total	**616.20**		**501**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। समिति का मत है कि भू–जल की

उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 13,232 घनमीटर है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग परिसर में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई, चौड़ाई व गहराई) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का 1 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.651 हेक्टेयर (33.04 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,628 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,95,360 रूपये, खाद के लिए राशि 48,840 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 45,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,71,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,60,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,61,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2100	2%	42	Following activities at, Village-Harinchhapara	
			Pavitra Van Nirman	42.00
			Total	**42.00**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" (आम, नीम, करंज, पीपल, बादाम आंवला एवं जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,750 नग पौधों के लिए राशि 4,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,94,500 रूपये,

खाद के लिए राशि 1,12,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 3,90,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,45,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 17,92,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 24,08,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हरिनछपरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 166, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. बॉयलर से पार्टिकूलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. बॉक्साईट ओर एवं एल्युमिनियम हाईड्रेट का केमिकल कम्पोजिशन (chemical composition) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित उत्पाद हेतु केमिकल रिऐक्शन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग परिसर में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई, चौड़ाई व गहराई) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. उद्योग के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् वैज्ञानिक विधि से अपवहन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स के.के. स्टोन (खरकेना डोलोमाईट माईन, प्रो.– श्री कमलेश केड़िया), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2744)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451306 एवं 04/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.588 हेक्टेयर एवं 88,200 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	888	
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक – 888 क्षेत्रफल – 3.58 हेक्टेयर क्षमता – 88,200 टन प्रतिवर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/06/2045 तक है।

	दिनांक – 30/12/2016	
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 360 नग
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक – 10/01/2024 वर्ष 2016–17 में 4,060 टन वर्ष 2017–18 में 15,980 टन वर्ष 2018–19 में 14,820 टन वर्ष 2019–20 में 51,940 टन वर्ष 2020–21 में 65,200 टन वर्ष 2021–22 में 88,040 टन वर्ष 2022–23 में 64,220 टन	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खरकेना दिनांक 15/02/1993	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/03/2022	
500 मीटर	दिनांक 26/09/2023	11 खदानें, रकबा 165.065 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं नहर 50 मीटर दूर है।
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स के.के. स्टोन, प्रो.– श्री कमलेश केड़िया अवधि – दिनांक 16/06/1995 से 15/06/2045 तक	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–हिर्री, खसरा क्रमांक 62/1, क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 08/02/2023 वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 15.9 कि.मी.	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खरकेना 320 मीटर स्कूल ग्राम – खरकेना 2 कि.मी. अस्पताल – बिलासपुर 14 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 550 मीटर राज्यमार्ग – 28.7 कि.मी.	मनियारी नदी – 3.75 कि.मी. मौसमी नाला – 5.8 कि.मी. तालाब – 1 कि.मी. नहर – 50 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन 2023–24 में 88,200 टन

	माईनिंग प्लान अनुसार रिर्जव्स– जियोलॉजिकल 24,96,875 टन माईनेबल 6,38,101 टन रिकव्हरेबल 5,74,291 टन **वर्तमान में शेष रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 24,25,519 टन माईनेबल 5,66,745 टन रिकव्हरेबल 5,10,071 टन प्रस्तावित गहराई 35 मीटर बेंच की ऊंचाई 5 मीटर बेंच की चौड़ाई 5 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	2024–25 में 88,200 टन 2025–26 में 88,189 टन 2026–27 में 88,200 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,750 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 2,211 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 236 घनमीटर	236 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,740 नग	वर्तमान वृक्षारोपण – 360 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण –1,380 नग
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 315 वर्गमीटर क्षेत्र 04 स्थानों पर पूर्व से उत्खनन किया गया था, जिसका पुनःभराव किया गया है। उक्त हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेस्टोरेशन प्लान (गहराई एवं क्षेत्रफल सहित) प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall submit the permission of Water Resources Department for mining upto 35 meter depth in lease area.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR (Detailed Project Report) of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time

and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स (प्रो– श्री द्वारिका गुप्ता, पेन्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेन्ड्रीडीह, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2743)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451278 एवं 04/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	6.683 हेक्टेयर एवं 50,000 टन प्रतिवर्ष से 4,00,140 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 252 व 253 श्री ओंकार सिंह, 254/1 व 254/5 श्रीमती हुलसी बाई तथा सुश्री सुनीता 254/2, 254/4, 254/6 व 254/10 श्री दिव्यदीप गुप्ता एवं 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 व 259 श्री प्रेमसाय सिंह के नाम पर है।	खसरा क्रमांक 254/3, 254/7, 254/9, 254/11 व 259 हेतु श्री प्रेमसाय सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्य खसरा क्रमांकों के बी–1, पी–2 एवं सहमति पत्र में भिन्नता है।
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11 एवं 259 क्षेत्रफल – 6.683 हेक्टेयर क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष	एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

	दिनांक – 28/06/2021	
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ क्षमता विस्तार के तहत् – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 2,300 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक – 10/01/2024	वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में निरंक वर्ष 2018–19 में निरंक वर्ष 2019–20 में निरंक वर्ष 2020–21 में निरंक वर्ष 2021–22 में निरंक वर्ष 2022–23 में 20,930
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पेन्ड्रीडीह दिनांक 21/12/2013	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 26/09/2023	11 खदानें, रकबा 161.97 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, प्रो – श्री द्वारिका गुप्ता अवधि – दिनांक 24/01/2022 से 23/01/2072 तक।	
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 17/10/2013	वन क्षेत्र से दूरी – 15 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पेन्ड्रीडीह 265 मीटर स्कूल ग्राम – पेन्ड्रीडीह 450 मीटर अस्पताल – बिल्हा 3.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 390 मीटर राज्यमार्ग – 30.15 कि.मी.	मनियारी नदी – 5.45 कि.मी. मौसमी नाला – 3.65 नहर – 275 मीटर तालाब – 800 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 47,38,435 टन माईनेबल 34,33,426 टन रिकव्हरेबल 32,61,755 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 5 मीटर बेंच की चौड़ाई 5 मीटर संभावित आयु 20 वर्ष क्रशर प्रस्तावित – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 50,018 टन द्वितीय 50,129 टन तृतीय 1,00,035 टन चतुर्थ 2,00,070 टन पंचम 4,00,140 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 10,650 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी की मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 21,513 घनमीटर ओव्हर बर्डन की मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 43,025 घनमीटर	3,735 घनमीटर ऊपरी मिट्टी – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 17,778 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर दक्षिणी भाग में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। ओव्हर बर्डन का उपयोग हॉल रोड निर्माण एवं रेम्प के संरक्षण आदि कार्यों में किया जायेगा। शेष 16,570 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित किया जायेगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 9.5 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 2,300 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 2,300 नग	
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुत भू–संबंधी दस्तावेज अनुसार खसरा क्रमांकों के बी–1, पी–2 एवं सहमति पत्र में भिन्नता के संबंध में समिति द्वारा पाया गया कि:–

   - खसरा क्रमांक 252 व 253 श्री ओंकार सिंह के नाम पर है, परंतु उक्त खसरा हेतु श्री श्रवण लाल सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   - खसरा क्रमांक 254/1 व 254/5 श्रीमती हुलसी बाई तथा सुश्री सुनीता के नाम पर है, परंतु उक्त खसरा हेतु केवल श्रीमती हुलसी बाई का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुश्री सुनीता का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   - खसरा क्रमांक 254/2, 254/4, 254/6 व 254/10 श्री दिव्य दीप गुप्ता के नाम पर है, परंतु उक्त खसरा हेतु श्री ओंकार सिंह का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम. पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project Proponent shall submit top soil & over burden Management Plan.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit the clarification of land document with agreement copy of landowners for mining.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants and the name of the plant.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals (for expanded capacity) with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल (गिधौरी आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी), ग्राम–गिधौरी, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2756)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 451971 एवं 10/11/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.622 हेक्टेयर एवं 1,00,150 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1306(पार्ट) एवं 1307(पार्ट)	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 1305/1 श्री रामजी व्यास,	1307(पार्ट) श्री बिहारी सिंह कंवर,

	खसरा क्रमांक 1305/2 श्री खीखराम, खसरा क्रमांक 1305/3 श्री प्रहलाद प्रसाद, श्री जीवनलाल, सुश्री रथ बाई, सुश्री रेशम बाई, सुश्री राती बाई, सुश्री मालती बाई, सुश्री कृषि बाई, सुश्री तीजमती, खसरा क्रमांक 1305/4 श्री श्यामलाल, खसरा क्रमांक 1305/5 श्री गनेश राम एवं श्री पुनऊ राम, खसरा क्रमांक 1306(पार्ट) श्री गनेशगिर, श्री विष्णु गीर, श्री रतनगीर, फटकनगीर, श्रीमती कचराबाई, सुश्री कुमारीगीर, सुश्री छोटी, सुश्री सदीहीन एवं खसरा क्रमांक 1307(पार्ट) श्री बिहारी सिंह कंवर, श्री गिरधारी कंवर, सुश्री जलधारा कंवर, श्री दाऊ लाल कंवर, श्रीमती मिली बाई कंवर के नाम पर है।	श्री गिरधारी कंवर, सुश्री जलधारा कंवर, श्री दाऊ लाल कंवर, खसरा क्रमांक 1306(पार्ट) श्री गनेशगिर, खसरा क्रमांक 1305/4 श्री श्यामलाल, खसरा क्रमांक 1305/5 श्री गनेश राम, खसरा क्रमांक 1305/2 श्री खीखराम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्य खसरा क्रमांकों के बी–1, पी–2 एवं सहमति पत्र में भिन्नता है।
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत गिधौरी दिनांक 08/12/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 08/11/2023	
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल दिनांक – 06/10/2023	
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल, कोरबा द्वारा जारी दिनांक 03/10/2023	45 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र के बाहर स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र 15 कि.मी. की दूरी पर है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – दादरकला 1 कि.मी. एवं गिधौरी 3.65 कि.मी. स्कूल ग्राम – दादरकला 1.10 कि.मी. अस्पताल – कोरबा 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 कि.मी. राज्यमार्ग – 1.65 कि.मी.	हसदेव नदी – 13 कि.मी. मौसमी नाला – 1.2 कि.मी. तालाब – 1.15 कि.मी. नहर – 2.5 कि.मी. रिजर्वायर – 2.15 कि.मी.

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 11,32,704 टन माईनेबल 4,25,506 टन रिकव्हरेबल 4,04,231 टन प्रस्तावित गहराई 21 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 1,00,048 टन द्वितीय 1,00,035 टन तृतीय 1,00,150 टन चतुर्थ 51,941 टन पंचम 52,018 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 6,820 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.2 मीटर मात्रा – 3,880 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 2,391 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 1,489 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 1307, रकबा 0.449 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओव्हर बर्डन मोटाई – 4.8 मीटर मात्रा – 87,840 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 1307, रकबा 0.449 हेक्टेयर में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,356 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 19,04,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. लीज अनुबंध के पश्चात एवं खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मेरे द्वारा लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की कटाई नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही की जावेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध

	जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	इस परियोजना/खदान संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.622 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities at Nearby, Village- Gidhauri	
			Plantation at Village pond	0.91
			Total	**0.91**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 3,750 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 5,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,250 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 55,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गिधौरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 444, क्षेत्रफल 1.659 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल, कोरबा के ज्ञापन क्रमांक तक.अ. /6369 कोरबा, दिनांक 03/10/2023 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के नियंत्रण की दृष्टि से मध्यप्रदेश के वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 99/10–3, दिनांक 12/01/2000 के द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि प्रत्येक जिलाध्यक्ष खनन की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जो कि वनमंडलाधिकारी वन भूमि न होने की दशा में ही जारी करेंगे। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं है तथा वन क्षेत्र न होने के बाद भी वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है। उस स्थिति में क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

- आवेदित भूमि कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1302 से निकटतम 45 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र के बाहर स्थित है।

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (फतेगंज आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–फतेगंज, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2757)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 451990 एवं 10/11/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.765 हेक्टेयर एवं 3,00,105 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	697/1, 697/2, 701/6, 701/2(पार्ट) एवं 701/14	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 697/1 व 701/6 श्रीमती नीरमती एवं श्री लाप सिंह, खसरा क्रमांक 697/2, 701/2 व 701/14 श्रीमती संतोषी बाई के नाम पर है।	उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

		अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत फतेगंज दिनांक 03/06/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 08/11/2023	
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं कच्ची सड़क 80 मीटर दूर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भोपाल, दिनांक – 06/10/2023	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा द्वारा जारी दिनांक 14/08/2023 वन कक्ष क्रमांक पी. 1160 से दूरी – 280 मीटर	मिश्रित प्रजाति के 26 नग वृक्ष स्थित है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – फतेगंज 900 मीटर स्कूल ग्राम – फतेगंज 1.1 कि.मी. अस्पताल – कोरबा 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 12.1 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.75 कि.मी.	हसदेव नदी – 15 कि.मी. मौसमी नाला – 3.1 कि.मी. तालाब – 1.1 कि.मी. नहर – 4.7 कि.मी. कच्ची सड़क – 80 मीटर रिजर्वायर – 4.3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 18,66,375 टन माईनेबल 8,86,734 टन रिकव्हरेबल 8,42,397 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष क्रशर प्रस्तावित – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 2,50,036 टन द्वितीय 3,00,105 टन तृतीय 1,00,112 टन चतुर्थ 1,00,035 टन पंचम 92,071 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,250 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं

ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी की मोटाई – 0.2 मीटर मात्रा – 4,480 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 1,841 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 2,639 घनमीटर – सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 700, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।	ओव्हर बर्डन की मोटाई – 4.8 मीटर मात्रा – 1,03,480 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** ओव्हर बर्डन का उपयोग रैंप निर्माण तथा हॉल रोड की मरम्मत आदि कार्यों में, एवं शेष ओव्हर बर्डन को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 700, क्षेत्रफल 0.372 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,041 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 18,90,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. लीज अनुबंध के पश्चात एवं खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मेरे द्वारा लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की कटाई नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही की जावेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का

		पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 2.765 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, Village- Gidhori	
			Plantation around Village Pond	0.95
			Total	**0.95**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर नग वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 55 नग पौधों के लिए राशि 5,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,250 रूपये, खाद के लिए राशि 4,125 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,875 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 56,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गिधौरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 206 व 207, क्षेत्रफल 0.696 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (फतेगंज आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–फतेगंज, तहसील–बरपाली,

जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 697/1, 697/2, 701/6, 701/2(पार्ट) एवं 701/14 में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.765 हेक्टेयर एवं 3,00,105 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स भिलाई–1 सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई), ग्राम–भिलाई, तहसील–चरामा, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2768)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 452604 एवं 18/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक 1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री कैलाश हदगिया, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई उपस्थित हुए।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत भिलाई दिनांक 10/02/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/10/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 12/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 12/10/2023	खदानों की संख्या निरंक हैं।
200 मीटर	दिनांक 12/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई दिनांक – 25/09/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर द्वारा जारी दिनांक 21/06/2023	वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक OA-1475 से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – भिलाई 750 मीटर, स्कूल ग्राम – भिलाई 1 कि.मी. अस्पताल – चारामा 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 1.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 30 कि.मी.	पुल – 3 कि.मी. ग्रामीण सड़क – 190 मीटर एनीकेट – 2.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय	

	संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई**– अधिकतम 500 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर **खनन स्थल की लंबाई** – अधिकतम 276 मीटर, न्यूनतम 255 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई** – अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी** – अधिकतम 273 मीटर, न्यूनतम 63 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–45,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 3 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.78 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 02/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट में वृक्षारोपण के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 90, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) एवं पहुँच मार्ग (सहमति प्राप्त भूमि, खसरा क्रमांक 120) में वृक्षारोपण–600 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,41,500 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.एम.पी. के तहत खसरा क्रमांक 90 एवं पहुँच मार्ग के किनारे खसरा क्रमांक 120 पर वृक्षरोपण, सी.ई.आर. के तहत तालाब के किनारे खसरा क्रमांक 239 मे वृक्षारोपण, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई

	जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा, रेत उत्खनन का कार्य मैन्युअल विधि द्वारा, भारी वाहनों का नदी मे प्रवेश निषेध, प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की आर एल सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत, एम.सी.आर. के तहत बाउंड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जावेगा। 2. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। 3. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 3.0 हेक्टेयर है।

3. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
22.83	2%	0.4566	Following activities at Nearby, **Village- Bhilai**	
			Plantation around Village Pond	0.474
			Total	**0.474**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन, बेल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा

रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 17,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भिलाई के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 239) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–भिलाई) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स भिलाई–1 सेण्ड क्वारी, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई को ग्राम–भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर, खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप), ग्राम–पुरियारा, तहसील– नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2773)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 452618 एवं 20/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4 हेक्टेयर एवं 1,05,400 टन (62,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–165 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दिलीप मंडावी, सरपंच एवं श्री धरमचंद सोनबेर, सचिव, ग्राम पंचायत करप उपस्थित हुये।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत करप दिनांक 04/02/2023	

उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 02/11/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 04/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 09/11/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 09/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत करप दिनांक – 04/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर द्वारा जारी दिनांक 26/05/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 1.5 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पुरियारा 900 मीटर स्कूल ग्राम– पुरियारा 1 कि.मी. अस्पताल – पतौद 2.7 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 9 कि.मी. राज्यमार्ग– 1 कि.मी.	
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 69 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 783 मीटर, न्यूनतम 774 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 97 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 0.0 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–62,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 2 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 1000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत करप द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 441, क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,49,290 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।

1. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 69 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 0.0 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के

पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 9,000 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 31,000 वर्गमीटर (3.1 हेक्टेयर) क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at, **Village- Puriyara**	
			Plantation at Govt. Land	4.91
			Total	**4.91**

सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 450 नग पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,620 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 441) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पुरियारा) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये जानकारी/दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप) को ग्राम–पुरियारा, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, खसरा क्रमांक 165, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.1 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,900 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स भिरौद सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत भिरौद), ग्राम–भिरौद, तहसील–चारामा, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2780)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 452935 एवं 21/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2 हेक्टेयर एवं 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री परौ राम जुर्री, सरपंच एवं श्री ईतवारी विश्वकर्मा, सचिव, ग्राम पंचायत भिरौद उपस्थित हुये।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत भिरौद दिनांक 24/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 05/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 12/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 12/10/2023	अन्य 1 खदान, रकबा 9 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत भिरौद दिनांक – 04/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल कांकेर द्वारा जारी दिनांक 14/03/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 7 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–भिरौद 1.15 कि.मी., चारामा 800 मीटर स्कूल ग्राम–चारामा 1.15 कि.मी अस्पताल– चारामा 2.25 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 1.15 कि.मी. राज्यमार्ग– 21.10 कि.मी.	एनीकट – 4.3 कि.मी. नाला– 1 कि.मी. तालाब – 690 मीटर सिचाई नहर – 1.9 कि.मी. रोड ब्रिज– 280 मीटर (खदान के डाउन स्ट्रीम में पुल स्थित है).
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई– अधिकतम 405 मीटर, न्यूनतम 397 मीटर	

की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 153 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 139 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.13 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–36,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 2 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.13 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 11/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 400 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,26,000 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 11 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015

में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayats for Plantation purpose in river bank.

vi. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

vii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

viii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land

cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री अभिनीत उपाध्याय), ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2117)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 81229 एवं 27/07/2022 ई.सी. – 451890 एवं 21/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.2 हेक्टेयर एवं 3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11	
भू–स्वामित्व	भूमि खसरा क्रमांक 615, 639/1, 641/1 श्रीमती मधु उपाध्याय एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अभिनीत उपाध्याय एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में पी एण्ड एम सॉलूशन की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बेरलाकला दिनांक 02/11/2020	
उत्खनन योजना अनुमोदन	अनुमोदन दिनांक 13/06/2022 संशोधन दिनांक 29/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 08/01/2024	अन्य 10 खदानें, रकबा 27.398 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं। 200 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्ची सड़क है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री अभिनीत उपाध्याय दिनांक –22/08/2018 वैधता अवधि –6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 27/04/2022 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु

		अतिरिक्त समयावधि प्रदान कि गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा द्वारा जारी दिनांक 17/04/2018	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बेरलाकला 503 मीटर स्कूल ग्राम – बेरलाकला 730 मीटर अस्पताल ग्राम – गुढ़ेली 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 कि.मी. राज्यमार्ग – 8 कि.मी.	खारून नदी – 750 मीटर
पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 42,344 घनमीटर माईनेबल 33,839 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 11 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% लीज क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भट्ठा – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 3,350 घनमीटर द्वितीय 3,350 घनमीटर तृतीय 3,350 घनमीटर चतुर्थ 3,350 घनमीटर पंचम 3,350 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 872 वर्गमीटर	उत्खनित – नही
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 3,189 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – रॉ मटेरियल के भण्डारण, कच्चे ईट के भण्डारण एवं सड़क के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर सीमा पट्टी मे वृक्षारोपण – 436 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 10,10,002 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 485, दिनांक 02/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग–दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 $PM_{2.5}$ – 24.16 से 46.81 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 42.14 से 68.37 $\mu g/m^3$ SO_2 – 9.02 से 14.84 $\mu g/m^3$ NO_2 – 10.05 से 20.16 $\mu g/m^3$	गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 12 भू–जल – 12 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 12

	Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 44.12 से 64.05 Night L_{eq} – 31.33 से 51.35 उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	मिट्टी के नमूने – 12 उक्त मॉनिटरिंग की पुष्टि हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही फ्लोरा एवं फौना की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	रोड हेतु – वर्तमान में 1500 पी.सी.यू. / दिन व्ही / सी अनुपात (V/C ratio) 0.1 परियोजना उपरांत 1572 पी.सी.यू. / दिन व्ही / सी अनुपात (V/C ratio) 0.1	रोड़ हेतु – लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 57.8 μg/m³	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 25 / 09 / 2023 समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30 / 10 / 2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य / ग्रामीणों द्वारा खदान का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कहा गया। ग्रामीणों द्वारा खदान के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोजगार हेतु ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 11 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 43,73,800 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–3,27,288 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोकसुनवाई के दौरान दिये गये समस्त आश्वासन पूर्ण करने, सी.ई.एम.पी. के तहत् तय राशि का पर्यावरण हित में उपयोग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, समिति द्वारा निहीत शर्तो के पालन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Write Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Comon Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. 2. We, will Comply the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-1A.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activites on Habitations. Issues related to the mining projects wherein Habitations

	के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत एवं वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत करने बाबत्, ई.सी., सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एन. जी.टी. आदि द्वारा सामान्य कारण की लागू शर्तो का पालन करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	and villages are the part of min lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area. 3. We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification 2006 as amended from time to time. 4. We will Comply, an undertaking that there is no court case case pending relating to this project before any Court of Law in India. 5. Raipur We will comply, an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 804 (E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Banent, Forest and Climate Change, Government of Hiring given by Hon'ble Supreme Court India and the direction of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 29.598 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at Nearby, **Village- Berlakala**	
			Pavitra van nirman	12.78
			Total	**12.78**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, करंज, कदम्ब, आवला, अमलतास एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 98,640, फेंसिंग के लिए राशि 73,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800

रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बेरलाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 701, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री अभिनीत उपाध्याय) को ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.2 हेक्टेयर, क्षमता–3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.— श्री दयाराम यादव), ग्राम—बेरलाकला, तहसील—बेरला, जिला—बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2116)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. — 81033 एवं 27/07/2022 ई.सी. — 452586 एवं 21/11/2023	फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.47 हेक्टेयर एवं 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602	
भू—स्वामित्व	भूमि खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616 एवं 617 श्रीमती रेखा यदु एवं शेष खसरा आवेदक के नाम पर है।	उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री दयाराम यादव, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बेरलाकला दिनांक 02/11/2020	
उत्खनन योजना अनुमोदन	अनुमोदन दिनांक 13/06/2022 संशोधन दिनांक 29/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 08/01/2024	10 खदानें, रकबा 25.128 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक — श्री दयाराम यादव दिनांक —23/08/2018 वैधता अवधि —6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र — दिनांक 27/04/2022 वैधता अवधि — पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

वन विभाग एन.ओ.सी.	संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा द्वारा जारी दिनांक 17/04/2018	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बेरलाकला 560 मीटर स्कूल ग्राम – बेरलाकला 560 मीटर अस्पताल ग्राम – बेरलाकला 560 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 कि.मी. राज्यमार्ग – 22 कि.मी.	खारून नदी – 872 मीटर
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 89,400 घनमीटर माईनेबल 73,095 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50% लीज क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित भठ्ठा – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 2,500 घनमीटर द्वितीय 2,500 घनमीटर तृतीय 2,500 घनमीटर चतुर्थ 2,500 घनमीटर पंचम 2,500 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 1,046 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 6,874 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – रॉ–मटेरियल एवं कच्चे ईंट के भण्डारण के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर सीमा पट्टी मे वृक्षारोपण – 523 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 14,34,176 रूपये
जारी टी.ओ.आर.	क्रमांक 487, दिनांक 02/06/2023	1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	मॉनिटरिंग–दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 $PM_{2.5}$ – 24.16 से 46.81 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 42.14 से 68.37 $\mu g/m^3$ SO_2 – 9.02 से 14.84 $\mu g/m^3$ NO_2 – 10.05 से 20.16 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 44.12 से 64.05 Night L_{eq} – 31.33 से 51.35	गुणवत्ता मापन स्थल: परिवेशीय वायु – 12 भू–जल – 12 सतही जल – 02 ध्वनि स्तर – 12 मिट्टी के नमूने – 12 उक्त मॉनिटरिंग की पुष्टि हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया

	उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।	गया है। साथ ही फ्लोरा एवं फौना की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	रोड़ हेतु – वर्तमान में 1500 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1 परियोजना उपरांत 1572 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1	रोड़ हेतु – लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 57.8 $\mu g/m^3$	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 25/09/2023 समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित मैदान, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य/ग्रामीणों द्वारा खदान का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कहा गया। ग्रामीणों द्वारा खदान के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोजगार हेतु ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 11 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 43,73,800 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–6,61,771 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोकसुनवाई के दौरान दिये गये समस्त आश्वासन पूर्ण करने, सी.ई.एम.पी. के तहत् तय राशि का पर्यावरण हित में उपयोग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, समिति द्वारा निहीत शर्तो के पालन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत एवं वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Write Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Comon Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. 2. We, will Comply the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-1A.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activites on Habitations. Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

	ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत करने बाबत्, ई.सी., सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एन. जी.टी. आदि द्वारा सामान्य कारण की लागू शर्तो का पालन करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	3. We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification 2006 as amended from time to time. 4. We il Comply, an undertaking that there is no court case case pending relating to this project before any Court of Law in India. 5. Raipur We will comply, an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O 804 (E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Banent, Forest and Climate Change, Government of Hiring given by Hon'ble Supreme Court India and the direction of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 29.598 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
74	2%	1.48	Following activities at Nearby, Village- Berlakala	
			Pavitra van nirman	12.78
			Total	**12.78**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, करंज, कदम्ब, आवला, अमलतास एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 98,640, फेंसिंग के लिए राशि 73,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक

द्वारा ग्राम पंचायत बेरलाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 701, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव) को ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602 में मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.47 हेक्टेयर, क्षमता–2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स शिकारी केशली लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़), ग्राम–शिकारी केशली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2778)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 452941 एवं 21/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.405 हेक्टेयर एवं 70,875 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	616/1, 616/2, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633, 634, 637/17 एवं 637/18	
भू–स्वामित्व	खसरा क्रमांक 634 एवं 631/2 श्री पुरूषोत्तम एवं शेष अन्य खसरे आवेदक के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री संजय मक्कड़, प्रोपराईट उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत शिकारी केशली दिनांक 31/12/2013 10 वर्ष हेतु वैध थी।	उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 08/11/2023	
500 मीटर	दिनांक 22/09/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 22/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री संजय मक्कड़ दिनांक – 21/07/2023 अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डालाधिकरी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 05/01/2023	वन क्षेत्र खैरवारडीह से दूरी – 11.46 कि.मी. वन क्षेत्र सूमा से दूरी – 16.16 कि.मी. वन क्षेत्र सिमगा से दूरी – 25.94 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– शिकारी केशली 850 मीटर स्कूल ग्राम – शिकारी केशली 850 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग – 21 कि.मी. राज्यमार्ग – 10 कि.मी.	महानदी – 33 कि.मी. जमुनिया नाला – 2.7 कि.मी. शिवनाथ नदी – 17 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली	

	पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 15,03,125 टन माईनेबल 7,98,342 टन रिकव्हरेबल 7,58,425 टन प्रस्तावित गहराई 25.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 14.47 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – 1,540 वर्गमीटर	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 54,180 टन द्वितीय 57,300 टन तृतीय 46,245 टन चतुर्थ 70,875 टन पंचम 47,145 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,085 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 0.78 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – सड़क	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 8,795 घनमीटर	4,550 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 4,245 घनमीटर को गैर माईनिंग क्षेत्र (लीज क्षेत्र के भीतर) में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,101 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 5,24,870 रूपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.405 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर एवं कॉन्सेप्चुअल प्लान में प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में स्थापित क्रशर का कुछ भाग प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
46.44	2%	0.9288	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village- Shikari keshli**	
			Plantation with fencing	1.205
			Total	**1.205**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, अमरूद, कटहल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 6,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 43,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शिकारी केशली लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़) को ग्राम–शिकारी केशली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक

616/1, 616/2, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633, 634, 637/17 एवं 637/18 में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.405 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 70,875 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता), ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2423)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425464/ 2023, दिनांक 15/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना चिमनी भट्ठा के) खदान है। खदान ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 253/4 एवं 252, कुल क्षेत्रफल–2.529 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशि रंजन साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उपरकछार का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 833–35/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 27/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 737/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 736/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शिनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 252 श्री विष्णु प्रसाद साहू तथा श्री घनश्याम प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 253/4 श्री अमृत कुमार, श्री ईग्नासियुस एवं श्री प्रदीप कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किये गए है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विष्णु प्रसाद साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जशपुर, के ज्ञापन क्रमांक 584/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 30/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/3952 जशपुर, दिनांक 10/08/2020 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उपरकछार 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–उपरकछार 1 कि.मी. एवं अस्पताल लठबोरा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। तालाब 540 मीटर एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 130 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 50,580 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 43,920 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 42,602 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी भठ्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	4,000
द्वितीय	4,000
तृतीय	4,000

चतुर्थ	4,000
पंचम	4,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 450 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 30 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष एवं 28 वर्गमीटर क्षेत्र को ट्यूब वेल होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at, Govt. Primary School, Lathbora	
			Plantation	0.631
			Total	**0.631**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा में (नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण करने हेतु शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा के प्रधान पाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कम से कम 3 पंक्तियों में कुल 450 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति/सम्मति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़नें पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई एश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 12/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. लीज क्षेत्र के भीतर सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 450 नग वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईंटों का निर्माण) हेतु लीज क्षेत्र से लगा हुआ स्वयं के ईट भट्टा मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन में किया जाना बताया गया है। मेसर्स विष्णु प्रसाद गुप्ता ब्रिक अर्थ माईन को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 15/09/2016 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी है। मेसर्स विष्णु ब्रिक इंण्डस्ट्री, ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 253/2 एवं 253/3, मिट्टी उत्खनन क्षमता 3,000 घनमीटर (20,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 16/01/2023 में जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह मान्य होगी तथा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

5. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़नें पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फलाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेजों (पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति) में आवेदित खदान से लगी हुई स्वयं की एक अन्य खदान संचालित है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में

विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।} की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्पष्टीकरण के साथ अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर {ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।} की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 672/खनि. शा./2023 जशपुर, दिनांक 06/12/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 01 खदान, क्षेत्रफल 2.428 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–उपरकछार) का क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–उपरकछार) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.957 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता) को ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 253/4 एवं 252 में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना चिमनी भट्ठा के) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.529 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता – 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स कोंटा सेण्ड क्वारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कोंटा), ग्राम–कोंटा, तहसील–कोंटा, जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2400)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428184/2023, दिनांक 06/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोंटा, नगर पंचायत कोंटा, तहसील–कोंटा, जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 374, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के.टी. सुरेश कुमार (सहायक राजस्व निरीक्षक), अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि शबरी नदी छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी बारहमासी नदी है, जो वन क्षेत्रों से होकर बहती है तथा यह सदा–नीरा नदी है। इस नदी में चट्टान, रेत, जंगली घास तथा नदी जल सभी सामूहिक रूप से मिलकर एक विशिष्ट प्रजाति के झींगें का प्राकृतिक रहवास बनाती है। इस झींगे की विशिष्ट प्रजाति का शबरी नदी विशिष्ट रहवास है इसलिए झींगे की यह प्रजाति शबरी नदी में ही पायी जाती है। झींगे की यह प्रजाति आकार में लगभग 10 इंच तक तथा गहरे भूरे और काले रंग की होती है। स्थानीय आदिवासियों का यह प्राकृतिक परम्परागत आहार भी रहा है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति फ्रेश वॉटर/रिवर वॉटर में पायी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, जिसका प्राकृतिक रहवास में संरक्षण एवं संवर्धन की महती आवश्यकता है।

शबरी नदी में प्रवाहित जल, नदी तल में स्थित चट्टानों के कारण Static और Flowing दोनों प्रकृति का है। इसके फलस्वरूप यह विशिष्ट झींगा प्रजाति के लिए

उत्तम प्रजनन केन्द्र का निर्माण करता है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति शबरी नदी के Perrenial Fresh water Riverine ecosystem में endemic nature की है शबरी नदी अपनी पूरी लंबाई में Rare Perrenial fresh water wet land ecosystem के रूप में स्थित है, जो इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी है, जो सुकमा, कोंटा एवं नदी किनारे वनक्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा भी है। शबरी नदी में रेत उत्खनन की किसी भी अनुमति से झींगे की विशिष्ट एवं दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक रहवास को आघात/हानि पहुँचने की आशंका है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के लुप्त होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को शबरी नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2023 के परिपेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा क्रमशः दिनांक 19/12/2023 एवं 05/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3337, दिनांक 27/09/2023 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई है, जिसमें से आवेदित खदान के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्रमांक 01 से 06 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"1. **शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी**

मछली के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय स्थिति
कतला	कतला	कतला–कतला	अच्छी है
रोहु	रूई	लिबियो रोहिता	अच्छी है
मृगल	मृगल	सिरहीनस मृगला	अच्छी है
चिपा	चिपा	वेलेगो अट्ट	औसत
टेगंरा	टेगना	माइसटस केवीसियस	औसत
चिताला	चिताला	नोटोपटेरस चिताला	औसत
सुआन	सुआन	जेनटाडोन कोनसीला	विलुप्तप्राय
ईल मछली	दुडुम	एंगुइलिडी	विलुप्तप्राय
सिंघी	सिंघी	हैटेरोपनेस्टस फोसिला	औसत
खोखसी	खोखसी	च्ना स्ट्राइटस	औसत
ब्लेक रोहु	काला रूई	लेबियो कालबासु	औसत
बामी	बामी	माइटस सिम्बेलस आरमेटस	विलुप्तप्राय
कोतरी	कोतरी	पंगटियस टिकटो	औसत
सिघाड	सिघाड	मिस्टस सीघाला	औसत
झींगा	झींगा	मैक्रब्रिकियम रोजनवर्गी	संकटापन श्रेणी
सरागी	सरांगी	चेला बकेली	औसत
मागुर	मोगरी	क्लेरियस बेटरेकस	विलुप्तप्राय

2. **शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological) की जानकारी**

शबरी नदी का उद्गम स्थल ओडिसा के एवं छत्तीसगढ के बैलाडीला की पहाड़ीयों से माना गया है। यह नदी सुकमा की दक्षिणी पूर्वी सीमा से बहती हुई 94 कि.मी. का सफर तय कर आन्ध्रप्रदेश के कुनावरम के निकट गोदावरी में जाकर मिल जाती है। यह अपने अन्दर विभिन्न जैव प्रजाति एवं पादपो को समाये हुऐ है तथा यह क्षेत्र मत्स्य पालन एवं मत्स्य जीव मुख्यतः झींगा बढवार के लिए उपयुक्त है।

3. **शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे की विस्तृत जानकारी**

- झींगा फायलम आर्थोपोडा फेमीली कस्टेशियन का सदस्य है। इसकी कई प्रजातियां मीठे तथा कई प्रजातियां खारे जल में पाई जाती है, कुछ प्रजातियां अपना जीवन चक्र मीठे तथा खारे जल दोनों में मिलाकर पूरी करते हैं।
- मुख्यतः शबरी नदी में **मेक्रोब्रेकियम रोजनबर्गाई** पाई जाती है।
- स्वभाव से झींगा ओमनीवोरस, बाटम फीडर, नोक्टरनल (रात्रि चर) तथा केनाब्लॉटीक होते हैं। इसमें शरीर की वृद्धी के साथ–साथ मोल्टींग होती है।

- सडे गले पौधे कीड़े मकोडे कृमी घोघे सीपी तथा जन्तु प्लावक आदि इनका प्राकृतिक भोजन है। इसके अतिरिक्त परिपूरक आहार के रूप में पैलेट फीड भी दिया जा सकता है।

4. **रेत उत्खनन में इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजातिं के झींगे के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी**

- रेत के उत्खनन में से जलीय जीवो का प्राकृतिक रहवास नष्ट हो जाते है।
- झींगो के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से प्रजनको द्वारा नये आवास के तलाश के समय कई जलीय जीवो एवं मनुष्यो द्वारा खत्म कर दिये जाते है।
- रेत के उत्खनन से निश्चित क्षेत्र मे पाये जाने वाले झींगा का समुह खत्म हो जाते है।
- रेत के अधिक दोहन से नदी में झींगे की वंश वृद्धि मे लगातार गिरावट दर्ज होती रही है। जिससे यह प्रजाति शबरी नदी में संकटग्रस्त स्थति में आ चुके है।

5. **क्या यह प्राकृतिक झींगे के दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती मैकोब्रिकियम रोजनवर्गी:–**

- शबरी नदी में इस प्रजाति के प्राकृतिक आवास एवं प्रजनन योग्य क्षेत्रों के नष्ट होने से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।
- इनकी प्राकृतिक आवासो को नष्ट करने के साथ–साथ अधिक आर्थिकी के लालच में विषैले पदार्थो प्रयोग कर नष्ट करने का कार्य किया जाता रहा है।
- मैकोब्रिकियम रोजनवर्गी की प्रजाति वर्तमान समय में शबरी नदी में संकटापन्न श्रेणी में है।

6. **शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।**

शबरी नदी भारत के छत्तीसगढ़, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। शबरी नदी उदगम उडीसा के कोरापुट जिले के पहाड़ियों से हुआ हैं।

छत्तीसगढ में इसका उदग्म बैलाडीला के नंदिराज शिखर (नन्दपुर पर्वत) से माना जाता है। यह गोदावरी नदी की सबसे बडी सहायक नदी है। छत्तीसगढ राज्य मे कुल लम्बाई 173 किमी. हैं। यह तेंलगाना राज्य के कुनावरम के निकट गोदावरी में मिल जाती हैं।

विशेष :– यह नदी छत्तीसगढ और उड़ीसा के मध्य सीमा बनाती हैं। इस नदी में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले और तेलंगाना कुनावरम के मध्य 36 किमी. जल मार्ग पर स्टीमर तथा नाव द्वारा परिवहन होता है।

परियोजना :– उडीसा मे इस नदी को कोलाब के नाम से जाना जाता हैं। कोलाब नाम से ही इस नदी पर उड़ीसा में बहुउद्देशीय योजना हैं। 3 अप्रैल 2017 को शबरी नदी और छत्तीसगढ़ के मध्य पुल का उद्घाटन किया गया। शबरी नदी पार ओडिसा जाने के झाराघाट और दोरनपाल में पहले ही दो पुल निर्मित किये जा चुके हैं।

इसकी 03 सहायक नदियां जो कांगेर, मालेंगर, पोटेरु है। यह नदी सुकमा जिले के रानीदरहा, मडवा एवं गुप्तेश्वर में जलप्रपात बनाती हैं।"

2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3138, दिनांक 19/12/2023 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में कथन है कि "छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपरोक्त प्रकार के सर्वे हेतु पर्याप्त विशेषज्ञ अमला नहीं है। बोर्ड द्वारा यह सर्वे इम्पैनल्ड विशेषज्ञ संस्थाओं से कराया जा सकता है। विशेषज्ञ संस्थाओं से सर्वे कराए जाने हेतु लगभग राशि रू. 5.00 लाख का व्यय (प्रोजेक्ट तैयार करने, मानदेय, बोर्डिंग/लॉजिंग, यात्रा आदि अन्य) अनुमानित है। अतः शबरी नदी में उपरोक्त सर्वे कार्य हेतु राशि रु. 5.00 लाख बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।"

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त जानकारी** के आधार पर आवेदित खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को विशेष रूप से लेख किया जाए कि झिंगा की विशिष्ट प्रजाति जो संकटापन्न स्थिति में है उसके संरक्षण की आवश्यकता को संज्ञान लेकर शबरी नदी में कोई भी रेत उत्खनन हेतु लीज की स्वीकृति न दी जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, कलेक्टर, सुकमा एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स सुकमा सेण्ड क्वारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सुकमा) ग्राम–सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2401)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428234/2023, दिनांक 06/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138, कुल क्षेत्रफल–4.928 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–49,280 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू कुमार, सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि शबरी नदी छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी बारहमासी नदी है, जो वन क्षेत्रों से होकर बहती है तथा यह सदा–नीरा नदी है। इस नदी में चट्टान, रेत, जंगली घास

तथा नदी जल सभी सामूहिक रूप से मिलकर एक विशिष्ट प्रजाति के झींगें का प्राकृतिक रहवास बनाती है। इस झींगे की विशिष्ट प्रजाति का शबरी नदी विशिष्ट रहवास है इसलिए झींगे की यह प्रजाति शबरी नदी में ही पायी जाती है। झींगे की यह प्रजाति आकार में लगभग 10 इंच तक तथा गहरे भूरे और काले रंग की होती है। स्थानीय आदिवासियों का यह प्राकृतिक परम्परागत आहार भी रहा है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति फ्रेश वॉटर/रिवर वॉटर में पायी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, जिसका प्राकृतिक रहवास में संरक्षण एवं संवर्धन की महती आवश्यकता है।

शबरी नदी में प्रवाहित जल, नदी तल में स्थित चट्टानों के कारण Static और Flowing दोनों प्रकृति का है। इसके फलस्वरूप यह विशिष्ट झींगा प्रजाति के लिए उत्तम प्रजनन केन्द्र का निर्माण करता है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति शबरी नदी के Perrenial Fresh water Riverine ecosystem में endemic nature की है शबरी नदी अपनी पूरी लंबाई में Rare Perrenial fresh water wet land ecosystem के रूप में स्थित है, जो इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी है, जो सुकमा, कोंटा एवं नदी किनारे वनक्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा भी है। शबरी नदी में रेत उत्खनन की किसी भी अनुमति से झींगे की विशिष्ट एवं दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक रहवास को आघात/हानि पहुँचने की आशंका है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के लुप्त होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को शबरी नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2023 के परिपेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्सय पालन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा क्रमशः दिनांक 19/12/2023 एवं 04/01/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 46, दिनांक 04/01/2024 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई है, जिसमें से आवेदित खदान के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्रमांक 01 से 06 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी

मछली के प्रकार	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय स्थिति
कतला	कतला	कतला–कतला	अच्छी है
रोहु	रूई	लिबियो रोहिता	अच्छी है
मृगल	मृगल	सिरहीनस मृगला	अच्छी है
चिपा	चिपा	वेलेगो अट्ट	औसत
टेगंरा	टेगना	माइसटस केवीसियस	औसत
चिताला	चिताला	नोटोपटेरस चिताला	औसत
सुआन	सुआन	जेनटाडोन कोनसीला	विलुप्तप्राय
ईल मछली	दुडुम	एंगुइलिडी	विलुप्तप्राय
सिंघी	सिंघी	हैटेरोपनेस्टस फोसिला	औसत
खोखसी	खोखसी	च्ना स्ट्राइटस	औसत
ब्लेक रोहु	काला रूई	लेबियो कालबासु	औसत
बामी	बामी	माइटस सिम्बेलस आरमेटस	विलुप्तप्राय
कोतरी	कोतरी	पंगटियस टिकटो	औसत
सिघाड	सिघाड	मिस्टस सीघाला	औसत
झींगा	झींगा	मैक्रब्रिकियम रोजनवर्गी	संकटापन श्रेणी
सरागी	सरांगी	चेला बकेली	औसत
मागुर	मोगरी	क्लेरियस बेटरेकस	विलुप्तप्राय

2. **शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological) की जानकारी**

   शबरी नदी का उद्गम स्थल ओडिसा के एवं छत्तीसगढ के बैलाडीला की पहाड़ीयों से माना गया है। यह नदी सुकमा की दक्षिणी पूर्वी सीमा से बहती हुई 94 कि.मी. का सफर तय कर आन्ध्रप्रदेश के कुनावरम के निकट गोदावरी में जाकर मिल जाती है। यह अपने अन्दर विभिन्न जैव प्रजाति एवं

पादपो को समाये हुऐ है तथा यह क्षेत्र मत्स्य पालन एवं मत्स्य जीव मुख्यतः झींगा बढवार के लिए उपयुक्त है।

3. **शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे की विस्तृत जानकारी**

- झींगा फायलम आर्थोपोडा फेमीली कस्टेशियन का सदस्य है। इसकी कई प्रजातियां मीठे तथा कई प्रजातियां खारे जल में पाई जाती है, कुछ प्रजातियां अपना जीवन चक्र मीठे तथा खारे जल दोनों में मिलाकर पूरी करते हैं।
- मुख्यतः शबरी नदी में **मेक्रोब्रेकियम रोजनबर्गाई** पाई जाती है।
- स्वभाव से झींगा ओमनीवोरस, बाटम फीडर, नोक्टरनल (रात्रि चर) तथा केनाब्लॉटीक होते हैं। इसमें शरीर की वृद्धी के साथ–साथ मोल्टींग होती है।
- सडे गले पौधे कीड़े मकोडे कृमी घोघे सीपी तथा जन्तु प्लावक आदि इनका प्राकृतिक भोजन है। इसके अतिरिक्त परिपूरक आहार के रूप में पैलेट फीड भी दिया जा सकता है।

4. **रेत उत्खनन में इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजातिं के झींगे के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी**

- रेत के उत्खनन में से जलीय जीवो का प्राकृतिक रहवास नष्ट हो जाते है।
- झींगो के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से प्रजनको द्वारा नये आवास के तलाश के समय कई जलीय जीवो एवं मनुष्यो द्वारा खत्म कर दिये जाते है।
- रेत के उत्खनन से निश्चित क्षेत्र मे पाये जाने वाले झींगा का समुह खत्म हो जाते है।
- रेत के अधिक दोहन से नदी में झींगे की वंश वृद्धि मे लगातार गिरावट दर्ज होती रही है। जिससे यह प्रजाति शबरी नदी में संकटग्रस्त स्थति में आ चुके है।

5. **क्या यह प्राकृतिक झींगे के दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती मैकोब्रिकियम रोजनवर्गी:–**

- शबरी नदी में इस प्रजाति के प्राकृतिक आवास एवं प्रजनन योग्य क्षेत्रों के नष्ट होने से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।
- इनकी प्राकृतिक आवासो को नष्ट करने के साथ–साथ अधिक आर्थिकी के लालच में विषैले पदार्थो प्रयोग कर नष्ट करने का कार्य किया जाता रहा है।
- मैकोब्रिकियम रोजनवर्गी की प्रजाति वर्तमान समय में शबरी नदी में संकटापन्न श्रेणी में है।

6. **शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।**

शबरी नदी भारत के छत्तीसगढ़, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख उपनदी है। शबरी नदी उदगम उडीसा के कोरापुट जिले के पहाड़ियों से हुआ हैं।

छत्तीसगढ में इसका उदग्म बैलाडीला के नंदिराज शिखर (नन्दपुर पर्वत) से माना जाता है। यह गोदावरी नदी की सबसे बडी सहायक नदी है।

छत्तीसगढ राज्य मे कुल लम्बाई 173 किमी. हैं। यह तेंलगाना राज्य के कुनावरम के निकट गोदावरी में मिल जाती हैं।

विशेष :– यह नदी छत्तीसगढ और उड़ीसा के मध्य सीमा बनाती हैं। इस नदी में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले और तेलंगाना कुनावरम के मध्य 36 किमी. जल मार्ग पर स्टीमर तथा नाव द्वारा परिवहन होता है।

परियोजना :– उडीसा मे इस नदी को कोलाब के नाम से जाना जाता हैं। कोलाब नाम से ही इस नदी पर उड़ीसा में बहुउद्देशीय योजना हैं। 3 अप्रैल 2017 को शबरी नदी और छत्तीसगढ़ के मध्य पुल का उद्घाटन किया गया। शबरी नदी पार ओडिसा जाने के झाराघाट और दोरनपाल में पहले ही दो पुल निर्मित किये जा चुके हैं।

इसकी 03 सहायक नदियां जो कांगेर, मालेंगर, पोटेरु है। यह नदी सुकमा जिले के रानीदरहा, मडवा एवं गुप्तेश्वर में जलप्रपात बनाती हैं।"

2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3140, दिनांक 19/12/2023 द्वारा उपरोक्त चाही गई 6 बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में कथन है कि "छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपरोक्त प्रकार के सर्वे हेतु पर्याप्त विशेषज्ञ अमला नहीं है। बोर्ड द्वारा यह सर्वे इम्पैनल्ड विशेषज्ञ संस्थाओं से कराया जा सकता है। विशेषज्ञ संस्थाओं से सर्वे कराए जाने हेतु लगभग राशि रू. 5.00 लाख का व्यय (प्रोजेक्ट तैयार करने, मानदेय, बोर्डिंग/लॉजिंग, यात्रा आदि अन्य) अनुमानित है। अतः शबरी नदी में उपरोक्त सर्वे कार्य हेतु राशि रु. 5.00 लाख बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध है।"

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** संचालक, संचालनालय, मछली पालन छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर आवेदित खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को विशेष रूप से लेख किया जाए कि झिंगा की विशिष्ट प्रजाति जो संकटापन्न स्थिति में है उसके संरक्षण की आवश्यकता को संज्ञान लेकर शबरी नदी में कोई भी रेत उत्खनन हेतु लीज की स्वीकृति न दी जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, कलेक्टर, सुकमा एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स साजापानी आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकींग गिट्टी (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग), ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2352)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 423204/ 2023, दिनांक 25/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 565/4 एवं 565/21, कुल क्षेत्रफल–1.436 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 09/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार गर्ग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत साजापानी का क्रमशः दिनांक 11/12/2020 एवं दिनांक 05/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 438/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 28/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनि.शा./2023, जशपुर, दिनांक 03/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 688/खनि.शा./2023, जशपुर, दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 460/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 09/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 565/4 श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग एवं खसरा क्रमांक 565/21 श्री रामकुमार व सुश्री कौशल्या के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2022/2268 जशपुर, दिनांक 08/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का

मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–साजापानी 500 मीटर, स्कूल 2 कि.मी. एवं अस्पताल कांसाबेल 6.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13.9 कि.मी. दूर है। घुघरी नदी 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,24,016 टन, माईनेबल रिजर्व 68,575 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 61,717 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,839 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6.3 मीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,106.3 घनमीटर है, ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के उत्तर–पश्चिमी भाग में 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र (1.76 मीटर ऊँचाई) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,300 वर्गमीटर होगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,715
द्वितीय	13,715
तृतीय	13,715
चतुर्थ	13,715
पंचम	13,715

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,45,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, रख–रखाव एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 1,84,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,68,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,68,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,839 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें

से कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व से लीज क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है। साथ ही खनि निरीक्षक, जिला कार्यालय जशपुर के दिनांक 31/05/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) के तहत् खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र लगभग 12 मीटर पहाड़ी के रूप में है, जिसमें सरफेस आकार कार्य के रूप में खनिज उपलब्ध है। फूट हील में भी खनिज सा. पत्थर उपलब्ध है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 252.26 वर्गमीटर क्षेत्र को हॉल रोड, रैंप एवं टॉयलेट हेतु एवं 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन भण्डारित करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.50	2%	0.47	Following activities at Govt primary school Village- Sukhbasupara (Sajapani)	
			Portable Drinking water Facility	0.159
			Plantation work	0.312
			Total	**0.471**

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्दर निर्धारित राशि का उपयोग पर्यावरण के हित के लिए किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर क्षेत्र में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण करने एवं उन वृक्षों के रख रखाव इस प्रकार करेंगे जिससे रोपित 90 प्रतिशत से अधिक वृक्ष जीवित व स्वस्थ्य रहें। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ऊपरी मिट्टी को भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का उपयोग अन्य कार्यों में न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) तहत निर्धारित राशि का उपयोग उसमें दिए गए कार्यों में ही खर्च करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य नियमानुसार अनुमति लेकर विस्फोटक लाइसेंस धारक तथा दक्ष ब्लास्टर द्वारा ही कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को जाँच उपरांत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र. /मा.चि./2023/2883 जशपुर, दिनांक 11/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 0.5 मीटर की दूरी पर है।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 2,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 900 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 24,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,32,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,440 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स साजापानी आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकींग गिट्टी (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग) को ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 565/4 एवं 565/21 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.436 हेक्टेयर, क्षमता–13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (छोटेहरदी डोलोमाईट माईन, डायरेक्टर – श्री मयंक गर्ग), ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2647)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 441372/2023, दिनांक 22/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3, कुल क्षेत्रफल–4.379 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,10,000 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रूपेश शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3, कुल क्षेत्रफल–4.379 क्षमता–1,10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़ द्वारा दिनांक 30/12/2016 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 450 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1822/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 05/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन योजना अनुसार अनुमोदित मात्रा (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2016–17	1,00,000	64,524
2017–18	1,05,000	1,04,998
2018–19	1,10,000	96,240
2019–20	1,15,000	1,09,248
2020–21	1,20,000	98,822

2021–22	1,20,000	83,998
2022–23	1,20,000	52,966

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छोटेहरदी का दिनांक 26/02/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ क्वारी प्लान अलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4069/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं.29/2015 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1953/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 27/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1953/ख.लि.–1/2023 रायगढ़, दिनांक 27/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। तालाब 120 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री गौतम अग्रवाल के नाम पर थी। लीज डीड दिनांक 14/03/2023 को मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर–श्री मयंक गर्ग के नाम पर हस्तांतरित की गई। लीज डीड 20 वर्षो अर्थात दिनांक 19/01/2012 से दिनांक 18/01/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री गौतम अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गूगल मैप से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र से गोमर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य 25 कि.मी. दूर है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ककाईमोहन 550 मीटर, स्कूल ग्राम–त्रिभौना 1 कि.मी. एवं अस्पताल रायगढ़ 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.1 मीटर दूर है। महानदी 1.6 कि.मी., मौसमी नाला 380 मीटर, नहर 1.45 कि.मी. एवं तालाब 120 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 20,34,855 टन, माईनेबल रिजर्व 11,89,908 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 11,30,412 टन था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 13,91,912 टन, माईनेबल रिजर्व 5,46,965 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,19,616 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,030.58 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 32,596.24 घनमीटर है, जिसमें से 2,815.87 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 29,780.37 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	1,10,000
2024–25	1,10,000
2025–26	1,10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 450 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,34,000 रूपये, खाद के लिए राशि 80,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,55,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,84,000 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 9,20,000 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के 4,202.67 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किये जाने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
96.97	2%	1.93	Following activities at **Village-Tirbhona**	
			Plantion aroung village Pond	1.95
			Total	**1.95**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) 70 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 10,500 रूपये, खाद के लिए राशि 3,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रूपये, अन्य कार्यों हेतु 10,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 61,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,34,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत त्रिभौना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 277, क्षेत्रफल 1.257 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया

जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यक्तानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 120 मीटर तथा नहर 1.45 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारो को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुवाअजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 2 कि.मी., अस्पताल 20 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 510 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज

अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाऐगें–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जायेगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत् पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/12/2023 एवं 27/12/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./6705/2023 रायगढ़, दिनांक 26/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 892.8 मीटर, गोमर्डा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 23.65 कि.मी. तथा गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 271.33 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (छोटेहरदी डोलोमाईट माईन, डायरेक्टर – श्री मयंक गर्ग) को ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4,

210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.379 हेक्टेयर, क्षमता–1,10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–09** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **श्री मनोज कुमार लहरें नमनाकला, रिंग रोड अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा द्वारा माईनिंग स्पेक्टर का वर्तमान प्रतिवेदन खदान का देने के बाद, पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् प्राप्त शिकायत पर विचार कर निर्णय लिया जाना।**

श्री मनोज कुमार लहरें नमनाकला, रिंग रोड अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा द्वारा माईनिंग स्पेक्टर का वर्तमान प्रतिवेदन खदान का देने के बाद, पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् दिनांक 29/11/2023 को शिकायत प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

एन.जी.टी. के आदेश के बाद सभी लीज हौल्डरों को जिनको डी.ई.आई.ए.ए. से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है उनको साल भर के अंदर पुनः एस..ई.आई.ए.ए. से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना है। जिला स्तरीय कमिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पटट्ा धरियों द्वारा धरा का खुब शोषण हुआ है। जो नियम के विरूद्ध है। जब लोगों को लोकल कमिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई तो वह अन्धधुद खोदाई करना प्रारंभ कर दिया। अब यह स्थिति है यदि उन्हें एस..ई.आई.ए.ए. से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना है तो उन्हें इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पडेगा लोगों ने अपने माईनिंग प्लान से अधिक खोदाई कर ली है। यदि ऐसे में उन्हें पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है तो यह बात देश व पर्यावरण विरोधी होगा। यही अवसर है जब पुनः पट्टा धरियों को एस..ई.आई.ए.ए. से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना है ऐसे में यदि खदान की वर्तमान स्थिति माईनिंग स्पेक्टर द्वारा स्पष्ट की जाती है कि उसने कितना धरती का शोषण किया है। तत्पश्चात् पट्टा धरियों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जायें।

अतः खदान की वर्तमान स्थिति, माईनिंग स्पेक्टर की फिल्ड रिपोर्ट देने के पश्चात् ही पट्टा धरियों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि प्राप्त शिकायत में उल्लेखित तथ्यों के जाँच किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए। साथ ही श्री मनोज कुमार लहरें (शिकायतकर्ता) को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–गौंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2567ए)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 63490/ 2019, दिनांक 28/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1 / 436005/ 2023, दिनांक 08/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–गौंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर में स्थित खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–18.5 हेक्टेयर में स्टील मेल्टिंग शॉप–1 (6 टन गुणा 6 नग) क्षमता–1,05,600 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (12 टन गुणा 4 नग) क्षमता–1,42,560 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल–1 (हॉट चार्जिंग) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,35,000 टन प्रतिवर्ष, स्टील मेल्टिंग शॉप–2 (15 टन गुणा 6 नग) क्षमता–2,22,750 टन प्रतिवर्ष तथा रोलिंग मिल–2 क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष (कोल गैसीफायर आधारित) से बढ़ाकर 2,10,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग) करने के लिए पर्याक्रणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना की विनियोग रुपये 230 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मैटालर्जिकल इंडस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. के. गोयल, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पॉल्युशन एण्ड इकोलॉजी सर्विसेस, नागपुर की ओर से डॉ. शिल्पा उपस्थित

हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को रोलिंग मिल क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। समिति का मत है कि उक्त हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 84, दिनांक 06/05/2019 द्वारा मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, खसरा क्रमांक 2/3, कुल क्षेत्रफल–18.5 हेक्टेयर, ग्राम–गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, तहसील व जिला–रायपुर एम.एस. राउन्ड्स एण्ड सी.टी.डी. बार क्षमता–37,500 टन प्रतिवर्ष (सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन) से 59,500 टन प्रतिवर्ष (डबल शिफ्ट ऑपरेशन) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांक 17/03/2023 का प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ज्ञापन दिनांक 24/12/2010 के माध्यम से वायर ड्रॉईंग यूनिट क्षमता – 1,25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2024 तक है। समिति का मत है कि वायर ड्रॉईंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 26/07/2023 के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट, रोलिंग मिल क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता–2 गुणा 5,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 20/06/2008 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा एम.एस. राउन्ड, सी.टी.डी. बार्स आदि क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष, एम.एस.इन्गाट्स एण्ड बिलेट्स क्षमता – 1,05,600 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/10/2022 को जारी की गई है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सरोरा 500 मीटर, स्कूल ग्राम–गोगांव 2.5 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सुयश अस्पताल 3.5 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 5.5 कि.मी. एवं छोकरा नाला 5.0 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया स्थित है।

4. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/15, 1/16, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 33, 25, 22, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि खसरा क्रमांक 2/3, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज बी–1 अनुसार खसरा क्रमांक 2/3 का रकबा केवल 1.21 हेक्टेयर है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (Ha)	%
1.	Factory Shed	1.85	10
2.	Constructed area	0.8	4.32
3.	Greenbelt area	7.4	40
4.	Open area for finished good	1.2	6.48
5.	Raw Material Bay	2.0	10.81
6.	Yard for Scrap	0.5	2.71
7.	Misc. open area	1.6	8.65
8.	Area for Proposed Expansion	1.65	8.92
9.	Area under road & Parking Area	1.5	8.11
	Total	**18.5**	**100**

6. **रॉ–मटेरियल –**

Particulars	Existing	Proposed	Source	Mode of Transportation

SMS 1 (1,05,600 TPA to 1,42,560 TPA)				
Sponge Iron	1,03,200 TPA	1,39,320 TPA	SBPIL Borjhara/Tilda	By Road
Pig Iron/Ci Scrap	13,200 TPA	17,820 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	3,600 TPA	4860 TPA	SBPIL Borjhara	By Road
Rolling Mill 1 (59,500 TPA to 1,35,000 TPA)				
Ingot/Billets	64,053	1,42,560	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
New Proposed SMS 2 (2,22,750 TPA)				
Sponge Iron	NIL	2,17,687 TPA	SBPIL borjhara/Tilda	By Road
Pig Iron/Ci Scrap	NIL	27,844 TPA	Jaiswal Neco	By Road
Others	NIL	7954 TPA	SBPIL Borjhara	By Road
Rolling Mill 2 (1,50,000 TPA to 2,10,000 TPA)				
Ingot/Billets	1,60,233 TPA	2,22,750 TPA	Sync with SMS	Through Roller Conveyor
Furnace Oil/Coal	3600 KL / 60,000 TPA	NIL	NA	NA
Captive Power Plant – Coal Based – 16 MW				
Coal	99,000	99,000	SECL	By Road & Rail
Char Dolochar	49,500	49,500	SBPIL Borjhara	By Road
Wire Drawing Mill – 1,25,000 TPA				
Wire Rods	1,26,250	1,26,250	Finished Bars from Rolling Mill	Through Drawing Machine
Fly Ash Bricks Plant – 72,000 TPA				
Fly Ash	50,400	50,400	Self Generated RM	Captive
Gypsum	3,600	3,600	Market	By Road
Sand	14,400	14,400	Market	By Road
Lime	3,600	3,600	Market	By Road

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Particulars	Existing Capacity (TPA)	Proposed Expansion	Capacity After Expansion
Steel Melting Shop 1	1,05,600 TPA (6X6T)	From 1,05,600 to 1,42,560 TPA, Induction Furnaces (existing configuration 6x6T shall be change to 3x12 T & Additional 1x12T)	1,42,560 TPA (4X12 T)

Rolling Mill 1	59,500 TPA (Hot Charging)	75,500 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 1)	1,35,000 TPA (Hot Charging)
Steel Melting Shop 2	-	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)	2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace)
Rolling Mill 2	1,50,000 TPA (With Coal Gasifier)	60,000 TPA (Hot Charging Synchronising with SMS 2)	2,10,000 TPA (Hot Charging)
Note: After establishment of Steel Melting Shop 2 of capacity 2,22,750 TPA (5X15 T Induction Furnace) all re-rolled products shall be based on hot charging and existing reheating furnace shall be dismantle along with coal gasifier.			

8. **स्थापित इकाईयों संबंधी जानकारी** – उद्योग के निम्न स्थापित इकाईयों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है:–

Existing Production capacity and configuration	Remarks
Coal Based Captive Power Plant - 16 MW	No change
Wire Drawing (1,25,000TPA) & Fly Ash Brick Plant (72,000 TPA)	No change
Refining Furnace (3MVA) for refining of MS Round & CTD Bars (59,500 TPA) &/or MS Ingots & Billets (1,05,600 TPA)	No change

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संबंध स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक–पृथक एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत चिमनियों की ऊंचाई के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** –

Unit Name	Existing (KLD)	Proposed (KLD)	Total (KLD)	Waste Water (KLD)
Power plant make up water	1,136	NIL	1,136	190
DM water for boiler	64	NIL	64	NIL
Steel Melting Shop for cooling purpose	27	63	90	4.5
Rolling Mill for cooling purpose	21	18	39	NIL
Wire Drawing mill	05	NIL	05	NIL
Fly Ash bricks plant	45	NIL	45	NIL
Domestic water	15	11	26	21
Total	**1,313**	**92**	**1,405**	**215.5**

आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल एवं खारून नदी से की जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से 45 घनमीटर प्रतिदिन के लिए अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 28/12/2023 तक है एवं जल संसाधन विभाग, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 26/10/2004 द्वारा 1.25 लाख घनमीटर प्रतिमाह के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

उक्त प्रस्तुत जानकारी से स्पष्ट है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, चूंकि आवेदित क्षेत्र क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के अंतर्गत आता है। अतः प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो कि स्पष्ट नहीं है। अतः समिति का मत है कि कुल रन ऑफ के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गणना कर (नंबर एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट से विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 4,000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 7.4 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 18,500 नग पौधे रोपित किया गया है, जिसमें से 12,950 नग पौधें जीवित हैं। वर्ष 2021–22 में 1,000 नग पौधे एवं वर्ष 2022–23 में 500 नग पौधें रोपित किये गये है। वर्ष 2023–24 में 1,500 नग पौधे प्रस्तावित है, जिसमें से 700 नग पौधों का रोपण किया जा चूका है। समिति का मत है कि शेष 800 नग पौधों का वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये कुल पौधों का नम्बरिंग एवं प्रजातियों का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

  i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर, 2021 से 27 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही

जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	22.2	52.4	60
PM_{10}	36.5	86.4	100
SO_2	6.2	18.6	80
NO_2	14.8	38.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	40	74	75
Night L_{eq}	30	64	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा–फौना की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. समिति का यह भी मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में पृथक–पृथक प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 07/10/2022 प्रातः 10:30 बजे स्थान – शासकीय हाईटेक ग्राउंड, वार्ड क्रमांक 4, यतियतन लाल वार्ड, जोन क्रमांक 01, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/12/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः–

1. पूर्व में दिनांक 11/02/2008 को रोलिंग मिल क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष एवं ए.एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता 16 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सभी शर्तों के पालन हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. वायर ड्रॉईंग यूनिट हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20/07/2022 एवं दिनांक 26/07/2023 के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. भूमि खसरा क्रमांक 2/5, 2/6, 1/14, 1/11, 1/15, 1/16, 30/1, 30/2, 32, 2/1, 1/3, 23/2, 26, 27/2, 33, 25, 22, 1/17, 1/7, 29/2, 28, 29/1, 4/1, 5, 1/5, 2/3 एवं 2/2, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर हेतु भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में भूमि खसरा क्रमांक 2/3, कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत की स्थिति में ले-आउट प्लान (Dimension सहित) प्रस्तुत किया जाए।

7. रॉ-मटेरियल बैलेंस की विस्तृत जानकारी (phase wise) प्रस्तुत किया जाए।

8. वर्तमान स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरणों के संबंध में पृथक-पृथक एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत चिमनियों की ऊंचाई के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, चूंकि आवेदित क्षेत्र क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के अंतर्गत आने के कारण प्रदूषण भार में वृद्धि होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

10. वर्तमान में स्थापित इकाईयों एवं क्षमता विस्तार उपरांत जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध में पृथक-पृथक प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

11. जनित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा एवं उसके अपवहन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. कुल रन ऑफ के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गणना कर (नंबर एवं साईज सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

13. शेष 800 नग पौधों का वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये

गये कुल पौधों का नम्बरिंग एवं प्रजातियों का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाए।
16. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
17. फ्लोरा–फौना की विस्तृत एवं सही–सही जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
18. जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गणना में कौन से मॉडल (software model) का उपयोग किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 05/12/2023 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर प्रकरण पर विचार किया जाना है।

(स) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 25/08/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को "Request for guidance for appraisal of Standalone Rolling Mills located in Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas to be appraised by SEAC or by EAC at Centre." के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किया गया था, जिसके संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 05/12/2023 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

"As per the OM dated 24th October, 2019, B2 category projects in critically polluted area or severely polluted areas shall be appraised as B1 category projects at the State Level [SEAC/SEIAA]. In addition to this, as per the OM dated 30/10/2019, any B1 project located in CPA & SPA shall be appraised at the central level."

अतः उक्त के संबंध में समिति का मत है कि आवेदित प्रकरण क्रिटिकली पाल्युटेड एरिया के अंतर्गत आता है। उक्त परियोजना को बी1–कैटेगरी के तहत् निर्णय लिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में विचार किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (फतेगंज आर्डिनरी स्टोन क्वारी)को खसरा क्रमांक 697/1, 697/2, 701/6, 701/2(पार्ट) एवं 701/14, कुल लीज क्षेत्र 2.765 हेक्टेयर, ग्राम–फतेगंज, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 3,00,105 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.765 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 3,00,105 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये ज़ाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज़) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, **Village- Gidhori**	
			Plantation around Village Pond	0.95
			Total	**0.95**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर नग वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 55 नग पौधों के लिए राशि 5,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,250 रूपये, खाद के लिए राशि 4,125 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,875 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 56,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गिधौरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 206 व 207, क्षेत्रफल 0.696 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,041 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में

किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 575 नग पौधों का रोपण (कुल 1,616 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स भिलाई–1 सेण्ड क्वारी, सरपंच, ग्राम पंचायत भिलाई को खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–भिलाई, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 900 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.83	2%	0.4566	Following activities at Nearby, Village- Bhilai	
			Plantation around Village Pond	0.474
			Total	**0.474**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन, बेल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 17,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भिलाई के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 239) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स पुरियारा सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत करप)
को खसरा क्रमांक 165, कुल क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 9,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.1 हेक्टेयर क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–पुरियारा, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 27,900 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3.1 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 27,900 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना

पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ़्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,200 नग पौधों का रोपण नदी तट एवं 1,000 नग पौधों को पहुंच मार्ग पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at, Village- Puriyara	
			Plantation at Govt.	4.91

			Land	
			Total	**4.91**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 450 नग पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,620 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 441) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में

मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री अभिनीत उपाध्याय) को खसरा क्रमांक 614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/3, 695/5 एवं 695/11, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 2.2 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,350 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
8. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।

10. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

11. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

12. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

13. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

14. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

15. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

16. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

17. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

18. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03

मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
43	2%	0.86	Following activities at Nearby, **Village- Berlakala**	
			Pavitra van nirman	12.78
			Total	**12.78**

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, करंज, कदम्ब, आवला, अमलतास एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 98,640, फेंसिंग के लिए राशि 73,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बेरलाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 701, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट

प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 436 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 350 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

33. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

34. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बेरलाकला ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्री दयाराम यादव) को खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 609/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616, 617, 611, 613, 610 एवं 602, ग्राम–बेरलाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्र 4.47 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 4.47 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,500 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
8. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।

10. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

11. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

12. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

13. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

14. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

15. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

16. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

17. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

18. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03

मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
74	2%	1.48	Following activities at Nearby, Village- Berlakala	
			Pavitra van nirman	12.78
			Total	12.78

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, करंज, कदम्ब, आवला, अमलतास एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 98,640, फेंसिंग के लिए राशि 73,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,85,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बेरलाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 701, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट

प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 436 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 350 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

33. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

34. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स शिकारी केशली लो ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय मक्कड़) को खसरा क्रमांक 616/1, 616/2, 631/2, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633, 634, 637/17 एवं 637/18, कुल लीज क्षेत्र 2.405 हेक्टेयर, ग्राम–शिकारी केशली, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में लो ग्रेड लाईम स्टोन (गौण खनिज) उत्खनन – 70,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.405 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से लो ग्रेड लाईम स्टोन का अधिकतम उत्खनन 70,875 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी

री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
46.44	2%	0.9288	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village- Shikari keshli**	
			Plantation with fencing	1.205
			Total	**1.205**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यादरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, अमरूद, कटहल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 6,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 43,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,101 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में

किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 नग पौधों का रोपण (कुल 1,601 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स विष्णु प्रसाद ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.–श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता) को खसरा क्रमांक 253/4 एवं 252, ग्राम–उपरकछार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) (बिना चिमनी भट्टा के) क्षमता – 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के भुनारे लगाया जाए।
3. लीज क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि (Activity) नहीं किया जाए। लीज क्षेत्र के बाहर की गतिविधि (Activity) शर्तो का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र,

भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

11. ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।

12. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

12.83	2%	0.2566	Following activities at, Govt. Primary School, Lathbora	
			Plantation	0.631
			Total	**0.631**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लठबोरा में (नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 37,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 350 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

29. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।

30. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

31. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉं सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़ एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.　　　　　　अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स साजापानी आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकींग गिट्टी (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग) को खसरा क्रमांक 565/4 एवं 565/21, कुल लीज क्षेत्र 1.436 हेक्टेयर, ग्राम–साजापानी, तहसील–कांसाबेल, जिला–जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.436 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 13,715 टन (5,275 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.50	2%	0.47	Following activities at Govt primary school Village- Sukhbasupara (Sajapani)	
			Portable Drinking water Facility	0.159
			Plantation work	0.312
			Total	**0.471**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 2,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 900 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 24,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,32,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,440 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 नग पौधों का रोपण (कुल 1,601 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना; कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (छोटेहरदी डोलोमाईट माईन, डायरेक्टर – श्री मयंक गर्ग) को खसरा क्रमांक 108/1, 203, 207/2, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 209/3, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 211, 213/1क, 213/1ख, 213/1ग, 213/1घ, 213/1ड़, 326/1, 329/1, 329/2 एवं 329/3, कुल लीज क्षेत्र 4.379 हेक्टेयर, ग्राम–छोटेहरदी, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ में डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन – 1,10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.379 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 1,10,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों

के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
96.97	2%	1.93	Following activities at Village-Tirbhona	
			Plantion aroung village Pond	1.95
			Total	**1.95**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) 70 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,500 रूपये, खाद के लिए राशि 3,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रूपये, अन्य कार्यों हेतु 10,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 61,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,34,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत त्रिभौना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 277, क्षेत्रफल 1.257 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,600 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 900 नग पौधों का रोपण (कुल 2,500 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने

वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.